## न्यायालय सहायक कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— **यक्ष चौधरी (प्रशिक्षु आईएएस)**
नम्बर मुकदमा :— 2022 / 456

1. हमीदन पत्नी लियाकत अली पुत्री मरहुम निजामदीन जाति मुसलमान निवासी महिला जागृति परिषद के सामने, सादुलगंज, बीकानेर।

— वादिया

— : बनाम : —

1. हफीजन पत्नी युनस अली भाटी मरहुम निजामदीन जाति मुसलमान निवासी रिडमलसर सिपाहियान बीकानेर।
2. मजीदन पत्नी भंवर खान भाटी पुत्री मरहुम निजामदीन जाति मुसलमान निवासी सिद्ध बाबा की बगेची के पास, जैल वेल बीकानेर।
3. अब्दुल अजीज पुत्र मरहुम निजामदीन जाति मुसलमान निवासी रिडमलसर सिपाहियान बीकानेर।
4. मजीदन पत्नी मरहुम मोहिद अली जाति मुसलमान निवासी अल्फुदीन की गली रिडमलसर सिपाहियान बीकानेर।
5. तोहिद अली पुत्र मरहुम मोहिद अली जाति मुसलमान निवासी अल्फुदीन की गली रिडमलसर सिपाहियान बीकानेर।
6. ताहिरा पुत्री मरहुम मोहिद अली जाति मुसलमान निवासी अल्फुदीन की गली रिडमलसर सिपाहियान बीकानेर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 ,92—क आर.टी.एक्ट व सपठित धारा 136

उपस्थित:— 1. श्री पवन कुमार शर्मा — वादिया ।
2. श्री नवीन कुमार सारस्वत--प्रतिवादी सं 1 ता 3।

— : निर्णय : — दिनांक :— 16·08·2023

1. वादिया ने यह वाद दिनांक 09.11.2022 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 ,92—क व सपठित धारा 136 के अन्तर्गत पेश किया। संक्षेप में इस वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर के वर्तमान खसरा नं. 179 तादादी 33—06 बीघा व खसरा नं 304 / 178 में 22—5 बीघा, खसरा नं. 574 / 178 / 58 में 15 बीघा [illegible] 70—11 बीघा कृषि भूमि वादीनी के पिता मरहुम निजाम[illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। उक्त कृषि भूमि [illegible]जित हक व हि[illegible] वादीनी के पिता काबिज काश्तकार रहे है। वादीनी के [illegible] तथा उनकी पत्नी का इन्तकाल निर्वसीयति ही हो गया था। निजामदीन के कुल तीन पुत्रियां व दो पुत्र हुए। वादीनी के पिता के इन्तकाल के पश्चात उक्त वर्णित कृषि भूमि में निजामदीन के संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2023.11.09 12:35:29 IST
Reason: SelfAttested

अविभाजित 1/2 हक व हिस्सा के विधि अनुसार संयुक्त रूप से मालिक व काबिज वादीनी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता मोहिद अली हुए जिनका अपने हिस्से पर कब्जा काश्त रहा है। वादीया के भाई मरहुम मोहिद अली का भी इन्तकाल हो जाने से प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को बतौर पक्षकार बनाया गया है। जैर वादी कृषि भूमि में निजामदीन की मृत्यु के पश्चात उनके संयुक्त व अविभाजित 1/2 हिस्से का नामान्तरणकरण वादीनी के भाई प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पति/पिता मोहिद अली के द्वारा वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराए बगैर ही उक्त कृषि 1/2 हिस्सा का नामान्तरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया गया है जो कि विधि विरुद्ध है। जैर वाद कृषि भूमि में स्व0 निजामदीन के संयुक्त व अविभाजित 1/2 हक व हिस्सा के बाबत दर्ज विरासतन नामान्तरणकरण वादीनी के अधिकारों के मुकाबले प्रारंभ से शुन्य, निष्प्रभावी एबिनिशयो वॉयड है तथा वादीनी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/10-1/10 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/40-1/40 हक व हिस्सा बनता है, की घोषणा की जावे तथा प्रतिकूल इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पति/पिता का नाम हटाकर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम विधि अनुसार हक व हिस्सा के साथ दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। वकील वादीया द्वारा रजिस्टर्ड एडी की रसीदे पेश की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अभिभाषक नवीन कुमार सारस्वत द्वारा अण्डरटेंकिग दी गयी। नियत पेशी पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अभिभाषक नवीन कुमार सारस्वत द्वारा वकालतनामा व इकबाल जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को जारी सम्मन लेने से इन्कारी की रिपोर्ट से लौटकर प्राप्त, अनुपस्थिति दर्ज की जाकर प्रतिवादीगण 4 ता 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा शपथ-पत्र पेश किये गये। जिरह शून्य रही। प्रदर्श लगवाए गए।

3. दिनांक 08.08.2023 को वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिए अभिभाषक राजीनामा पेश कर कथन किया कि ग्राम शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर के वर्तमान खसरा नंबर 179 तादादी 33-06 बीघा व खसरा नंबर 304/178 में 22-5 बीघा, खसरा नंबर 574/178/58 में 15 बीघा कुल ख[illegible] 3 [illegible] तादादी 70-11 बीघा कृषि भूमि में वादीया के पिता का निहित रहा संयुक्त व अविभाजित 1/2 हक व हिस्सा में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अमल-दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2023.11.09 12:35:29 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर के वर्तमान खसरा नंबर 179 तादादी 33–06 बीघा व खसरा नंबर 304 / 178 में 22–5 बीघा, खसरा नंबर 574 / 178 / 58 में 15 बीघा कुल खसरे 3 कुल तादादी 70–11 बीघा कृषि भूमि में वादीनी के पिता मरहुम निजामदीन का 1 / 2 संयुक्त अविभाजित हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है। वादिया ने उक्त भूमि में मरहूम निजामदीन की जायज वारिस होने के तहत 1 / 10 हिस्से की खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने हेतु दावा पेश किया है। वादिया एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। अतः लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर के वर्तमान खसरा नंबर 179 तादादी 33–06 बीघा व खसरा नंबर 304 / 178 में 22–5 बीघा, खसरा नंबर 574 / 178 / 58 में 15 बीघा कुल खसरा 3 कुल तादादी 70–11 बीघा कृषि भूमि में वादीनी के पिता मरहुम निजामदीन का 1 / 2 दर्ज हिस्से अनुसार जैरवाद कृषि भूमि में वादीया हमीदन पत्नी लियाकत अली पुत्री मरहुम निजामदीन हिस्सा 1 / 10, हफीजन पत्नी युनस अली पुत्री मरहुम निजामदीन हिस्सा 1 / 10, मजीदन पत्नी भंवर खान भाटी पुत्री मरहुम निजामदीन हिस्सा 1 / 10, अब्दुल अजीज पुत्र मरहुम निजामदीन हिस्सा 1 / 10, व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का संयुक्त रूप से 1 / 10 हिस्सा मुताबिक राजीनामा घोषित किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को राजीनामा मय निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान के कब्जे अनुसार निर्णित हक व हिस्से तक भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16·08·2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2023.11.09 12:35:29 IST
Reason: SelfAttested

(यक्ष चौधरी)
आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर,
बीकानेर शहर

सहायक कलक्टर,
बीकानेर शहर